Papers to be laid on the Table
of the Lok Sabha/Rajya Sabha

AUTHENTICATED

SHOBHA KARANDLAJE
Minister of State
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi

STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE ANNUAL REPORT OF HARYANA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LIMITED FOR THE YEARS 2017-18 ONWARDS ON THE TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA

The Haryana Agro Industries Corporation Limited is a State Government undertaking under the direct control of the State Government of Haryana. The Government of India has a shareholding of about 39% in the Corporation.

2. As per provisions contained under Section 394(1) of the Companies Act, 2013, where the Central Government is a member of a Government Company, the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of the Company to be:

(a) prepared within three months of its annual general meeting before which the audit report is placed under sub-section (6) of Section 143; and

(b) as soon as may be after such preparation, laid before both Houses of Parliament, together with a copy of the audit report and any comments upon, or supplement to the audit report, made by the Comptroller and Auditor General of India.

3. Further, in accordance with the recommendations contained in para 26 of the 1st Report of "Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha", copies of the Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation are to be placed on the Table of both Houses of Parliament together with report/review, comments of auditors and Comptroller and Auditor General within 9 months of closure of the accounts.

4. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare have been vigorously pursuing the matter with the Corporation as well as with the State Government to expedite submission of pending Annual Reports and Audited Accounts of the Corporation. As such, the Corporation has been able to send the Annual Report and Audited Accounts of the Corporation for the year 2017-18 to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for laying on the Table of the House.

Contd.

5. The reasons for delay in finalization of Annual Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 2017-18 are as under:

S.No.	Task	Date with Period
1	Date of appointment of Statutory Auditors	22.08.2017
2	Audit taken up by the Statutory Auditors	01.03.2021
3	Date of completion of Statutory Auditors	20.05.2021
4	Date on which Accounts finalized by the Corporation	28.05.2021
5	Date on which Accounts placed before the Board	28.05.2021
6	Date on which Accounts approved by the Board	28.05.2021
7	Date on which Statutory Auditors certified the Annual Accounts	08.06.2021
8	Date on which Annual Accounts submitted to the CAG of India	08.06.2021
9	Date of completion of Audit by CAG of India	25.07.2021
10	Date of issue of draft comments by CAG of India	02.08.2021
11	Date of submission of reply to the draft comments	18.08.2021
12	Date of receipt of final comments from CAG of India	22.10.2021
13	Date on which Annual Accounts approved	18.11.2021
14	Date of holding AGM	06.01.2022
15	Annual Report received in this Ministry	10.03.2022

6. After approval of the Annual Accounts by the AGM, the process for printing of Balances sheets was initiated and the order for printing of Balance sheet for the year 2017-18 was placed on 07.01.2022. After finalization of the final proof, the said supplier printed the Balance Sheets on 03.03.2022. Due to Covid 19, the Statutory Auditor' had taken more time in conducting the Statutory Audit.

7. Hence, there has been a delay in laying the Reports.

****

लोक सभा/राज्य सभा के पटल
पर रखे जाने वाले कागज

अधिप्रमाणित

शोभा करांदलाजे
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

वर्ष 2017-18 के लिए के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट को लोक सभा/ राज्य सभा के पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण ।

हरियाणा राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड हरियाणा राज्य सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन एक राज्य सरकारी उपक्रम है। भारत सरकार की निगम में लगभग 39 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

2. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394(1) के प्रावधानों के अनुसार, जहां केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी की एक सदस्य है, केन्द्रीय सरकार कम्पनी की कार्य प्रणाली और मामलों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट :

(क) इसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीनों के भीतर, जिससे पहले धारा 143 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है, तैयार करवाएगी; तथा

(ख) इस तैयारी के बाद यथाशीघ्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इस पर की गई टिप्पणियों अथवा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएगी ।

3. इसके अलावा " राज्य सभा के पटल पर रखे गए, कागजातों से संबंधित समिति' की प्रथम रिपोर्ट के पैरा 26 में की गई सिफारिशों के अनुसार, निगम की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा-परीक्षित खातों की प्रतियां को, लेखों के बन्द होने के 9 महीनों के भीतर लेखा परीक्षकों और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट/समीक्षा टिप्पणियों सहित, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना अनिवार्य है ।

4. कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग निगम की लम्बित वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित खाते के तेजी से प्रस्तुतिकरण के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ निगम के समक्ष मामले को सशक्त ढंग से उठाता रहा है । इस तरह से सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित खाते भेजे जाने के लिए निगम सक्षम है ।

....क्रमश

5. वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम के वार्षिक लेखों को अंतिम रुप देने में विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	कार्य	तिथि अवधि सहित
1	सांविधिक लेखा परीक्षको की नियुक्ति की तिथि	22.08.2017
2	सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा लिया गया समय	01.03.2021
3	सांविधिक लेखा की पूर्णता की तिथि	20.05.2021
4	निगम द्वारा लेखों को अंतिम रुप देने की तिथि	28.05.2021
5	लेखों को बोर्ड के समक्ष रखने की तिथि	28.05.2021
6	बोर्ड द्वारा लेखा अनुमोदन की तिथि	28.05.2021
7	वार्षिक लेखों को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित करने की तिथि	08.06.2021
8	भारत के सीएजी को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	08.06.2021
9	भारत के सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा की पूर्णता की तिथि	25.07.2021
10	भारत के सीएजी द्वारा प्रारुप टिप्पणी जारी करने की तिथि	02.08.2021
11	प्रारुप टिप्पणी का उत्तर प्रस्तुत करने की तिथि	18.08.2021
12	भारत के सीएजी अंतिम टिप्पणी प्राप्त होने की तिथि	22.10.2021
13	वार्षिक लेखा को मंजूरी देने की तिथि	18.11.2021
14	वार्षिक आम बैठक होने की तिथि	06.01.2022
15	मंत्रालय में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	10.03.2022

6. एजीएम द्वारा वार्षिक खातों की मंजूरी के बाद, बैलेंस शीट की छपाई के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी और वर्ष 2017-18 के लिए बैलेंस शीट की छपाई के लिए दिनांक 07.01.2022 को आदेश दिए गए थे। अंतिम प्रमाण (प्रूफ) को अंतिम रूप देने के बाद उक्त आपूर्तिकर्ता ने दिनांक 03.03.2022 को बैलेंस शीट मुद्रित की। कोविड 19 के कारण सांविधिक लेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षा करने में अधिक समय लगा।

7. अत: वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ ।

*****